Speed post
21-9-16

30.8.16

रघुवर दास
Raghubar Das

मुख्यमंत्री
झारखण्ड सरकार
Chief Minister
Govt. of Jharkhand

झारखण्ड सरकार

अ०स०प०सं०– 390574

दिनांकः– 19-09-2016

प्रिय श्री सरयू राय जी,

आपका पत्रांक 566/मंत्री को० दिनांक 30.08.2016 जो जमशेदपुर से तीन व्यवसायियों–सर्वश्री पवन पोद्दार, चिन्टु भालुटिया एवं चन्दन मितत्तल के ठिकानों पर हुई आयकर छापेमारी के दौरान आयकर, उत्पादकर, बिक्रीकर आदि की चोरी करने संबंधी मामले प्रकाश में आने की पृष्ठभूमि में बिजली विभाग/कम्पनियों के मुख्यालय से क्षेत्रीय स्तर तक के पदाधिकारियों की मिली भगत से संदर्भित है, जो दिनांक 06.09.2016 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

आगत पत्रांक
278/मंत्री को
21-9-16

उक्त पत्र ऊर्जा विभाग को अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

भवदीय

(रघुवर दास)

सेवा में,

श्री सरयू राय,
माननीय मंत्री,
संसदीय कार्य–सह–
खाद्य सार्वनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार,
आवास–एफ० टाईप, पीडब्लूडी (IB),
डोरण्डा, राँची–834004

3, काँके रोड, राँची–834008/ 3, Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233 एवं 2280717, 2400232 (Fax/फैक्स)
e-mail- cmjharkhand.rnc@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य-सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ॰टाईप, पी॰डब्लू॰डी॰ (IB)
डोरण्डा, राँची
मो॰ : 9431114486

566/मंत्री से
30.8.16

पत्रांक........................

दिनांक........................

माननीय मुख्यमंत्री,

जमशेदपुर के तीन व्यवसायियों-श्री पवन पोद्दार, श्री चिंटू भालोटिया और श्री चंदन मित्तल के ठिकानों पर गत सप्ताह हुई आयकर विभाग की छापेमारी में 100 करोड़ रूपये से अधिक का कालाधन बरामद हुआ है. आकलन है कि यह कालाधन बिजली की चोरी से इंडक्शन फर्नेस चलाने और उससे हुए उत्पादन की हेराफेरी कर नगदी व्यवसाय के माध्यम से आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर आदि की चोरी करने से पैदा हुआ है. यह सब विगत 3-4 वर्षो में हुआ है. इसमें बिजली विभाग/कम्पनियों के मुख्यालय से क्षेत्रीय स्तर तक के पदाधिकारियों की मिली-भगत के बिना संभव नहीं है.

यदि इंडक्शन फर्नेस चलाने वाले 3-4 वर्षो में ही इतना कालाधन पैदा कर ले रहे है तो अंदाजा लगाया जा सकता हैं कि राज्य में बिजली की चोरी किस बड़े पैमाने पर हो रही है. बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार एवं सरकार की संबंधित बिजली कंपनी द्वारा बनायी गई व्यवस्थाऐं ध्वस्त होती दिखती हैं. जमशेदपुर के अलावा राज्य के अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही स्थिति की सूचनायें मिलते रहती हैं.

इस बारे में निम्नलिखित सुझावों पर अमल करने से बिजली चोरी काफी हद तक रोकी जा सकती है:--

1. पावर ग्रिड से पावर सबस्टेशन, पावर सबस्टेशन से फीडर तथा फीडर से बिजली खपत पर आश्रित उद्योगों तक हर स्तर पर एक-एक 'चेक मीटर' लगाया जाय ताकि पता चल सके कि ग्रिड से सब-स्टेशन में कितनी बिजली जा रही है, सब-स्टेशन से फीडर में कितनी बिजली की आपूर्ति हो रही है तथा फीडर से संबंधित उद्योगों के ट्रांसफर्मर में कितनी बिजली पहुंच रही है. मुझे जानकारी मिली है कि इस प्रकार के 'चेक मीटर' झारखण्ड में अबतक स्थापित नहीं किये गये हैं।

email : saryuroy@gmail.com/info@saryuroy.in/वेबसाईट – www.saryuroy.in

Scanned with OKEN Scanner

2. अधिक बिजली खपत करने वाले उद्योगों की चहरदिवारी के बाहर भी वहां जाने वाले कनेक्शन के साथ बिजली विभाग/बिजली कंपनी अपना एक चेक मीटर इस तरह लगाये ताकि उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सके।

6. अधिक बिजली खपत करने वाले उद्योगों के मीटरों की 'फारेंसिक जांच' करायी जाय ताकि पता चल सके कि अवैध मीटर के साथ छेडछाड़ की जा रही है या नहीं ?

7. आम तौर पर बिजली की अधिक खपत करने वाले सभी उद्योगों और खासकर जमशेदपुर में जिनके ठिकानों पर आयकर छापामारी हुई है उनके उद्योगों में लगे मीटरों की भी तत्काल फोरेंसिक जांच करायी जाय। मीटरों की फारेंसिक जाँच कराने के लिए उड़ीसा में भारत सरकार का एक संस्थान स्थापित है.

8. राज्य में एनर्जी ऑडिट की व्यवस्था लागू की जाय ताकि बिजली की जायज–नाजायज खपत की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके तथा पता चल सके कि औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होते रहने के कारण क्या हैं तथा किस स्तर पर बिजली की चोरी हो रही है। फिलहाल शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में हो रही बिजली की चोरी से हो रहे नुकसान को ग्रामीण क्षेत्रों के मत्थे मढ़ दिया जाता है। लाईन लॉस तथा प्लांट लोड फैक्टर की वास्तविक जानकारी भी इस कारण नहीं हो पाती है.

आशा है उपर्युक्त बिन्दुओं पर गंभीरता से गौर करते हुए आवश्यक कारवाई करेंगे तथा बिजली चोरी के दोषियों के विरूद्ध कानून सम्मत कार्रवाई करने का आदेश देना चाहेंगे. इनके विरूद्ध कारवाई इसलिए भी आवश्यक है कि जो व्यवसायी अपना व्यवसाय इमानदारी से चला रहे हैं, उन्हें ऐसे लोगों के साथ प्रतिस्पर्द्धा में कठिनाई हो रही है, और इमानदार व्यवसायिक प्रवृति को धक्का लग रहा है.

सधन्यवाद,

भवदीय,
ह०/–
सरयू राय

सेवा में,
श्री रघुवर दास,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड सरकार राँची।

ज्ञापांक :–566 | मंत्री/का०

दिनांक 30-8-16

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, उर्जा विभाग, झारखंड सरकार।

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner